

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र, खारा महेचान

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1506

प्रकरण सं.:- 106/2018

दिनांक:- 12-6-18

आदेश


वादी के वाद पत्र एवं पटवारी होडू व भू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम जैरूपाणियों का तला तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 में खाता संख्या 72 के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी) में अंकित प्रविष्टि भंवरसिंह पुत्र खेताराम के स्थान पर भंवरसिंह पुत्र खेतसिंह दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 12-6-18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1507-1509
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री भंवरसिंह पुत्र खेतसिंह निवासी जैरूपाणियों का तला तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी